समक्ष गुरनाम सिंह, न्यायमूर्ति

ब्रिज किशोर,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य,-उत्तरदाता।

1978 की आपराधिक विविध संख्या **4352** एम

10 नवंबर, **1978**

हरियाणा बाल अधिनियम *(1974* का *14)*-धारा *1,4,7* और *65*-दंड प्रक्रिया संहिता *(2 of 1974)*- धारा *4,5* और *27*-भारत का संविधान *1950*-अनुच्छेद *254* और अनुसूची *7,* सूची *3,* प्रविष्टियां *1* और *2*-मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियुक्त बच्चा-बाल न्यायालय द्वारा ऐसे बच्चे पर मुकदमा चलाने का प्रावधान करने वाला बाल अधिनियम-संहिता भी साधारण आपराधिक न्यायालयों द्वारा मुकदमा चलाने का प्रावधान करती है- राज्य अधिनियम और संहिता के बीच प्रतिकूलता-ऐसा बच्चा-क्या संहिता के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाना है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा बाल अधिनियम, 1974 की धारा 1,4,7 और 65 के पठन से यह स्पष्ट है कि हरियाणा राज्य के भीतर बच्चों द्वारा किए गए सभी अपराधों का विचारण बाल न्यायालयों द्वारा किया जाना है। तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 27, जो व्यावहारिक रूप से 1898 की संहिता की धारा 29-ख के समान है, यह अधिनियमित करती है कि 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा किए गए मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय न होने वाले किसी भी अपराध का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या बाल अधिनियम के अधीन विशेष रूप से सशक्त किसी न्यायालय या युवा अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास का उपबंध करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है, अर्थात् मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का विचारण बाल न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, 1973 की संहिता और अधिनियम में निहित प्रावधानों के बीच एक सीधा संघर्ष है और एक बच्चे के मामले में कार्यवाही करते समय, दोनों में से एक की अवज्ञा की जानी चाहिए। इस प्रकार, हरियाणा राज्य द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रतिकूल है। इन दोनों अधिनियमों का विषय भारत के संविधान 1950 की अनुसूची 7 की सूची 3 में आता है और ऐसी स्थिति में संविधान का अनुच्छेद 254 न्यायालय की सहायता के लिए आता है, जिसके अनुसार यह देखा जाना चाहिए कि दो कानूनों में से कौन सा, एक राज्य द्वारा बनाया गया और दूसरा संसद द्वारा बनाया गया, पहले का है। 1973 की संहिता 1 अप्रैल, 1974 को लागू हुई। हरियाणा अधिनियम ऐसी तारीख को लागू होना था जब राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा नियुक्त करना था और इस प्रकार नियुक्त तिथि 1 मार्च, 1974 है। अनुच्छेद 254 के उपखंड (1) के अधीन, खंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रबल होगी। चूंकि संसद द्वारा पारित 1973 की संहिता हरियाणा अधिनियम के बाद लागू हुई, इसलिए यह प्रबल होगी और राज्य द्वारा बनाया गया कानून शून्य होगा और इसे बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 254 का खंड (2) उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रकार, जिस बच्चे पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है, उस पर हरियाणा अधिनियम के प्रावधानों के तहत नहीं, बल्कि संहिता के प्रावधानों के तहत सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए। (पैरा 5, 7, 9 and 10).

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के साथ पठित धारा 397 के अधीन याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि आक्षेपित आदेश संलग्नक पी-1 को उसने अपास्त कर दिया है और सत्र न्यायाधीश को उन्होंने शीघ्रता से विचारण समाप्त करने का निर्देश दिया है क्योंकि अपराध लगभग 4.5 वर्ष पूर्व किया गया था और अपराध करने वाले न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाहियों को याचिका के लंबित रहने के दौरान रोक लगाने का आदेश दिया जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एच. एन. मेहतानी।

अशोक कुमार, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए।

एच एस गिल, ए ए जी, उत्तरदाता संख्या 1 के लिए।

गुरनाम सिंह, न्यायमूर्ति:-

(1) रोहतास, पुत्र चूनी लाई मित्तल, निवासी गांव हो तहसील पलवल, जिला गुड़गांव, प्रतिवादी संख्या 2, पर 23 दिसंबर, 1974 को सुभाष की मौत के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलवल ने रोहताश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने के लिए सत्र न्यायालय, गुड़गांव को सौंप दिया। श्री सरूप चंद गोयल की अध्यक्षता में सत्र न्यायालय में 15 सितंबर, 1975 को मामले की सुनवाई शुरू हुई। मामला पूरा नहीं हो सका क्योंकि मामले में शिकायतकर्ता ने मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया था। इस बीच सत्र न्यायाधीश श्री सरूप चंद गोयल सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। इसलिए श्री सरूप चंद गोयल के उत्तराधिकारी श्री शिव दास त्यागी के समक्ष मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष का साक्ष्य पूरा हो गया था और अभियुक्त/प्रतिवादी संख्या 2 का बयान दर्ज करने के लिए मामले को 5 मई, 1978 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

(2) इस बीच हरियाणा राज्य बनाम ईश्वर सीआरएम 5415-एम/77,20 जनवरी, 1978 को तय किया गया। में न्यायमूर्ति हरबंस लाई ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः "अधिनियम की योजना स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होती है कि अधिनियम में परिभाषित बच्चों के मामले में, सभी अपराधों को - बाल न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया। इसे ध्यान में रखते हुए, संबंधित मजिस्ट्रेट का यह दायित्व था कि वह एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या प्रतिवादी अधिनियम के तहत परिभाषित बच्चा था या नहीं। यदि उसकी राय में, प्रत्यर्थी एक बच्चा नहीं था, तो उसके पास अभियुक्त को सत्र न्यायालय में मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करने का अधिकार क्षेत्र था और यदि प्रत्यर्थी को एक बच्चा पाया गया था, तो अभियुक्त को बाल न्यायालय में अग्रेषित करना मजिस्ट्रेट का दायित्व था।

(3) हरियाणा राज्य बनाम ईश्वर (उपर्युक्त) श्री शिव दास त्यागी, सत्र न्यायाधीश, रोहतास प्रत्यर्थी संख्या 2 की जन्मतिथि 19 फरवरी, 1959 लेते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस बारे में निर्णायक रूप से निर्णय लेना अनिवार्य हो जाता है कि क्या अभियुक्त-प्रत्यर्थी संख्या 2 हरियाणा बाल अधिनियम, 1974 (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के अर्थ के भीतर एक बच्चा था और हरबंस लाल न्यायमूर्ति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए, हरियाणा राज्य बनाम ईश्वर (उपर्युक्त) मामले को जांच करने और इस सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या अभियुक्त-प्रत्यर्थी संख्या

2 अधिनियम के तहत परिभाषित एक बच्चा था या नहीं और यदि वह एक बच्चा पाया जाता है तो बाल अधिनियम के तहत बाल न्यायालय के प्रावधानों के साथ निपटा जा रहा है। यह विद्वत सत्र न्यायाधीश, रोहतक, गुड़गांव शिविर, दिनांक 5 जून, 1978 के इस आदेश के विरुद्ध है। सुभाष मृतक के भाई बृज किशोर ने यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के साथ पठित धारा 397 के तहत दायर की है (जिसे इसके बाद 5 जून, 1978 को सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए 1973 की संहिता के रूप में संदर्भित किया गया है)।

(4) इस याचिका की सूचना प्रत्यर्थियों को दी गई थी और पक्षों के वकील को सुना गया है।

(5) हरियाणा बाल अधिनियम, 1974 को 6 फरवरी, 1974 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे हरियाणा राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 1974 को प्रकाशित किया गया। अधिनियम की धारा 4 के तहत, राज्य सरकार को बाल न्यायालयों का गठन करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 77 के तहत, एक बच्चे द्वारा किए गए अपराध से संबंधित मामले को बाल न्यायालय में भेजा जाना है। बाल न्यायालय को अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 19 के तहत अपराध के आरोपी बच्चे के खिलाफ जांच करने की आवश्यकता है। इस तरह की जांच के बाद, अपराधी बच्चों के खिलाफ अधिनियम की धारा 20 के तहत एक आदेश पारित किया जाना है। अधिनियम की धारा 21 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बाल न्यायालय द्वारा मौत या कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। हरियाणा राज्य बनाम ईश्वर (उपर्युक्त) में न्यायमूर्ति हरबंस लाल इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अधिनियम की योजना के अनुसार बच्चों द्वारा किए गए सभी अपराधों का बाल न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना है और इसलिए, मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक है कि वह एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या अभियुक्त अधिनियम में परिभाषित बालक है या नहीं। अधिनियम की धारा 65 इस प्रकार हैः "कुछ केंद्रीय अधिनियम लागू नहीं होंगे-(1) सुधारात्मक स्कूल अधिनियम, 1897 (1897 का केंद्रीय अधिनियम 8) और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का केंद्रीय अधिनियम 5) की धारा 29 बी और 399 किसी भी क्षेत्र में लागू नहीं होंगी जिसमें यह अधिनियम लागू किया गया है। (2) "

(6) हरियाणा बाल अधिनियम, 1974 का विस्तार अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा पूरे हरियाणा राज्य में है।

(7) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 29ख के अधीन (जिसे इसके पश्चात् 1898 की संहिता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) 15 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति द्वारा किए गए मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों का विचारण सुधारात्मक स्कूल अधिनियम, 1897 की धारा 8, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से सशक्त मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है या ऐसे किसी क्षेत्र में जहां उक्त अधिनियम को युवा अपराधियों की अभिरक्षा, विचारण या दंड का उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से निरसित किया गया है, ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा या उसके अधीन सभी या किसी भी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। चूंकि 1898 की संहिता की धारा 29 बी हरियाणा राज्य पर लागू नहीं हुई थी, इसलिए अधिनियम की धारा 65 के अनुसार, एक बच्चे द्वारा किए गए सभी अपराधों का मुकदमा बाल न्यायालय द्वारा चलाया जा सकता था। यह अधिनियम 1 मार्च, 1974 को लागू हुआ। 1898 की संहिता को अधिनियम सं. 1974 का 2 और 1973 की संशोधित संहिता 1 अप्रैल, 1974 से प्रभावी हुई। 1973 की संहिता की धारा 4 में कहा गया है कि "भारतीय दंड संहिता के तहत सभी अपराधों की जांच, जाँच, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा इसके बाद निहित प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।" वह अपराध जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय है, 1973 की संहिता की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत आता है

और इसलिए उसी संहिता के उपबंधों के अनुसार उसका विचारण किया जाना है। हालांकि, 1973 की संहिता की धारा 5 द्वारा एक अपवाद बनाया गया है और यह निर्धारित करता है कि "इस संहिता में निहित कुछ भी, इसके विपरीत एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, किसी विशेष या स्थानीय कानून को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रकार जहां विशेष अधिकारिता या विशेष शक्ति प्रदान की जाती है या प्रक्रिया का कोई विशेष रूप किसी अन्य विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है, वह अधिकारिता, शक्ति और प्रक्रिया 1973 की संहिता में निहित लोगों पर प्रबल होगी। 1973 की संहिता की धारा 27 यह अधिनियमित करती है कि 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा किए गए मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या बाल अधिनियम, 1960 के अधीन विशेष रूप से सशक्त किसी न्यायालय या युवा अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास का उपबंध करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है। 1973 की संहिता की धारा 27 व्यावहारिक रूप से वैसी ही है जैसी 1898 की संहिता की धारा 29ख थी,—अधिनियम की धारा 65 के अनुसार, 1898 की संहिता की धारा 29 बी हरियाणा राज्य में लागू होना बंद हो गई, जिसका अर्थ है कि सभी अपराधों पर बाल न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। चूंकि 1973 की संहिता की धारा 27 व्यावहारिक रूप से 1898 की संहिता की धारा 29 बी के समान है, इसलिए उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वर्तमान मामला बाल न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था और इसलिए, यह पता लगाना आवश्यक था जैसे कि प्रतिवादी नं। 2 अधिनियम के संदर्भ में बच्चा था या नहीं।

(8) दूसरी ओर याचिकाकर्ता के विद्वत वकील ने तर्क दिया है कि विषय-वस्तु भारत के संविधान की अनुसूची 7 में सूची 3-समवर्ती सूची की प्रविष्टि 2 के अंतर्गत आती है (दंड प्रक्रिया सहित इस संविधान के प्रारंभ में दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल सभी मामले और उसी सूची की प्रविष्टि 1 के भीतर भी; कि अधिनियम हरियाणा राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया एक कानून है, जबकि 1973 की संहिता, जो 1 अप्रैल, 1974 को लागू हुई, संसद द्वारा बनाई गई एक कानून है, कि 1973 की संहिता की धारा 27 के अनुसार बाल न्यायालय द्वारा मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जबकि हरियाणा बाल अधिनियम, 1974 के अनुसार, सभी अपराधों का मुकदमा उक्त न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और क्योंकि राज्य द्वारा बनाई गई कानून और संसद द्वारा बनाई गई कानून के बीच सीधा संघर्ष है, इसलिए शून्य होगा। इस प्रकार याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए।

(9) हाथ में विषय-वस्तु भारत के संविधान की अनुसूची 7 में सूची 3, समवर्ती सूची में आती है। हाथ में मामले के संबंध में, 1973 की संहिता और अधिनियम में निहित प्रावधानों के बीच एक सीधा संघर्ष है और एक बच्चे के मामले में कार्यवाही करते समय, दोनों में से एक की अवज्ञा की जानी चाहिए। इस प्रकार हरियाणा राज्य द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रतिकूल है। ऐसी स्थिति में, भारत के संविधान का अनुच्छेद 254 न्यायालय की सहायता के लिए आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 का खंड 2 निम्नानुसार हैः

(2) जहां समवर्ती सूची में प्रगणित मामलों में से किसी एक के संबंध में किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि में संसद द्वारा बनाई गई पूर्ववर्ती विधि या उस विषय के संबंध में विद्यमान विधि के उपबंधों के प्रतिकूल कोई उपबंध है, तो ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि, यदि राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित की गई है और उसकी सहमति प्राप्त कर ली है, तो उस राज्य में प्रबल होगीः बशर्ते कि इस खंड की कोई बात संसद को किसी भी समय उसी विषय के संबंध में कोई विधि अधिनियमित करने से नहीं रोकेगी, जिसमें राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि को जोड़ने, संशोधन करने, परिवर्तित करने या निरसित करने वाली विधि भी शामिल है।

अब यह देखा जाना चाहिए कि दो कानूनों में से कौन सा, एक राज्य द्वारा और दूसरा संसद द्वारा बनाया गया, पहले का है। 1973 की संहिता 1 अप्रैल, 1974 को लागू हुई। 1973 की संहिता की धारा 1 (3) में यह विशेष रूप से उपबंध किया गया है कि यह 1 अप्रैल, 1974 को प्रवृत्त होगा। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 5 के अधीन, जहां कोई केन्द्रीय अधिनियम किसी विशेष दिन को प्रवृत्त होने के लिए व्यक्त नहीं किया गया है, वह उस दिन से प्रवृत्त होगा जिस दिन उसे भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होगी। इसका अर्थ यह है कि जहां यह विशेष रूप से उपबंध किया गया है कि केन्द्रीय अधिनियम ऐसे और ऐसे अधिनियमों पर लागू होगा

परवीन कुमार बनाम पंजाब राज्य (हरबंस लाल, न्यायमूर्ति)

उस तारीख को इसके प्रवर्तन की तारीख माना जाएगा। अतः इस बात में कोई विवाद नहीं है कि 1973 की संहिता 1 अप्रैल, 1974 को लागू हुई थी। हरियाणा बाल अधिनियम, 1974, ऐसी तारीख को लागू होना था जिसे राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा नियुक्त करना था। हरियाणा बाल अधिनियम, 1974 पूरे हरियाणा राज्य में 1 मार्च, 1974 को लागू हुआ-अधिसूचना संख्या एसओ 21/एचए/74/एस 1/74, दिनांक 27 फरवरी, 1974 के माध्यम से। अनुच्छेद 254 के उपखंड (1) के अधीन, खंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रबल होगी। चूंकि संसद द्वारा पारित 1973 की संहिता हरियाणा बाल अधिनियम के लागू होने के बाद लागू हुई थी, इसलिए यह प्रभावी होगी और राज्य द्वारा बनाया गया कानून शून्य होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 का खंड (2) इसे बचाने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। न्यायमूर्ति हरबंस लाल ने हरियाणा राज्य बनाम ईश्वर (उपर्युक्त) का विनिश्चय करते समय इन दोनों अधिनियमों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के प्रभाव पर विचार करने की अपेक्षा नहीं थी और इसलिए इस याचिका में लिया गया कोई भी दृष्टिकोण माननीय न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत नहीं होगा।

(10) उपर्युक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, रोहतास प्रत्यर्थी संख्या 2, जिस पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है, उस पर सत्र न्यायालय द्वारा 1973 की संहिता के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, न कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत। नतीजतन इस याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है और विद्वत सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, प्रतिलिपि अनुलग्नक पी 1 को दरकिनार कर दिया जाता है और विद्वत सत्र न्यायाधीश को मामले के मुकदमे को जल्द से जल्द समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है।

एन के एस

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा